झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
**राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय**
नामकुम, राँची–834010
**E-mail-directoratedrug.jharkhand@gmail.com**

सं0 संख्या :–22 / निदे0 / औषधि / निगरानी–20-04/2021

प्रेषक,

निदेशक (औषधि),
राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय,
झारखण्ड, नामकुम, राँची।

सेवा में,

प्रबंधक,
झारखण्ड राज्य के सभी अस्पताल।

राँची, दिनांक :–

**विषयः– Remdesivir Inj. के संबंध में।**

**महाशय,**

विदित हो कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही कोविड–19 के उपचार में उपयोग होने वाले औषधि Remdesivir Inj. की मांग भी काफी बढ़ गई है।

समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों में इस आशय की समाचार प्रकाशित हो रही हैं कि देश में कई जगहों में नकली Remdesivir Inj. का निर्माण कर बेचा जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों में सीधे Remdesivir Inj. की आपूर्ति डिस्ट्रीब्यूटर अथवा अन्य सरकारी संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रायः यह सूचना आ रही है कि अस्पताल के द्वारा अन्य माध्यम से भी प्राप्त Remdesivir Inj. को कोविड संक्रमित मरीजों को लगाया जा रहा है। अतः इस आशय की प्रबल संभावना है कि नकली एवं अवैध Remdesivir Inj. अस्पताल के माध्यम से मरीजों तक पहुँच सकती है या बिचौलियों के माध्यम से अस्पतालों को भेजी जा सकती है।

अतः राज्य के सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों को निदेशित है कि औषधि अनुज्ञप्ति प्राप्त संस्थान/राज्य अवस्थित सरकारी संस्थान से प्राप्त Remdesivir Inj. को ही मरीजों को लगाना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित संपूर्ण अभिलेख का संधारण करेंगे। अन्यथा नकली एवं अवैध Remdesivir Inj. से कोविड संक्रमित मरीजों को नुकसान हो सकता है जिससे जान भी जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में आपके विरूद्ध औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,

ह0/–

निदेशक (औषधि),
राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय,
नामकुम, राँची, झारखण्ड

ज्ञापांकः– 694 (D) राँची, दिनांकः– 04/05/2021

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, स्वास्थ्य शिक्षा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अभियान निदेशक, एन0 एच0 एम0 झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी संयुक्त निदेशक (औषधि)/उप निदेशक (औषधि) को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी औषधि निरीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/5/2021

निदेशक (औषधि),
राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय,
नामकुम, राँची, झारखण्ड।